दालों का उत्पादन

3253. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दोलों के उत्पादन के संबंध में कोई नई योजना सरकार के पास अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत दोलों की खेती के लिए और अधिक भू-क्षेत्रफल को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत ग्रीष्मकाल में दोलों के उत्पादन हेतु "सिचाई प्रणाली" शीर्ष (मद) के अंतर्गत 200/- रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को सरकार की अनुमति कब तक मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1996-97 में विशेष ग्रीष्म उत्पादन कार्यक्रम पर प्रस्ताव भेजा जो बीज वितरण तथा सिंचाई पर प्रस्तावित राजसहायता को पूरा करने के लिए 44,905 करोड़ रु. के अतिरिक्त परिव्यय से 1996-97 से 2001-2002 तक छः वर्षों के लिए है।

(ख) जी, हां। राज्य ने दलहन के तहत 33.22 लाख है। तथा 2001-2002 तक 44.05 लाख है. क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव किया।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत दलहन-फसलों में सिंचाई के लिए डीजल की लागत को पूरा करने के लिए सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत किसानों को स्प्रिंक्लर सैटों पर सहायता दी जाती है जो छोटे तथा सीमान्त, अ.जा./अ.ज.ज. तथा महिला कृषकों के लिए लागत का 90% या 25,000 रु. प्रति सैट जो भी कम हो, होती है तथा कृषकों की अन्य श्रेणियों के लिए लागत की 70 प्रतिशत की सीमा तक या 25,000 रु. जो भी कम हो, तक होता है।

Payment of Balance Amount of Crop Insurance in Andhra Pradesh

3254. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some balance amount has to be paid out as Crop insurance in Nidamarru Mandal in West Godavari district of Andhra Pradesh for the last four years;

(b) if so, what is the disputed amount;

(c) what are the reasons for not releasing payments for Nidamarru Mandal and other areas in the district; and

(d) the steps proposed to review this matter with the State Government of Andhra Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Foreign Direct Investment in the Agriculture Sector

3255. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are in favour of formulating a far more liberal approach to Foreign Direct Investment (FDI) in the agriculture sector as has been done by China which is a large recipient of Foreign Direct Investment inflows, as reported in The Times of India, dated the 30th June, 1998;

(b) whether Government have, so far, examined any proposals particularly to open farm sector and allied areas such as refrigeration, warehousing, storage and grain handling to attract FDI; and

(c) if so, the details thereof, indicating FDI inflow in billion $ in the year 1997 and target set for 1998-99?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The guidelines for consideration of foreign direct investment proposals by the Foreign Investment Promotion Board in the Ministry of Industry lay down that priority will be accorded to items which have large scale employment potential especially for rural people and items which have a direct or backward linkage with agro-business/ farm sector. The Ministry of agriculture is in favour of allowing foreign direct investment in high-tech areas where there are technology gaps to be addressed in the country, for establishing market infrastructure such as post-harvest arrangements and cold chains for storage and transportation.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

उर्वरकों की आवश्यकता

3256. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय उर्वरकों की राज्य-वार दैनिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) इनकी आवश्यकता की तुलना में आपूर्ति की मात्रा में कितनी कमी है;

(ग) इस संबंध में स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उर्वरकों की मांग की स्थिति को सुधारने के लिए कोई विशेष परियोजना ऋण दिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) इस समय यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जिनका मूल्य आवाजाही और वितरण नियंत्रणाधीन है। यूरिया की आवश्यकता का निर्धारम मौसम-वार किया जाता है। खरीफ मौसम 1998 (1.4.1998 से 30.9.1998) के लिए 104.80 लाख मीटरी टन की निर्धारित आवश्यकता की तुलना में, 15.6.98 तक 59.04 लाख मीटरी टन मात्रा की आपूर्ति की गयी। मौसम के लिए यूरिया की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार अनुमानित आवश्यकता और उससे व्यत्पन्न औसत दैनिक आवश्यकता संलग्र विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)। चालू मौसम के दौरान यूरिया की आवश्यकता को पूरा करने में कोई कठिनाई दिखाई नहीं पड़ती।

विनियंत्रित उर्वरकों के मामले में, मांग के निर्धारण और आबंटन की केन्द्रीय सरकार की कोई प्रणाली विद्यामान नहीं है। जबकि खरीफ 1998 के लिए प्रमुख विनियंत्रित उर्वरकों डाय-अमोनियम फासफेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) की आवश्यकता, जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, क्रमश: 30.49 और 9.95 लाख मीटरी टन है, देश के लिए कुल आवश्यकता क्रमश: 26 लाख मीटरी टन और 9 लाख मीटरी टन आंकी गयी है। खरीफ मौसम के दौरान डी ए पी की उपब्धता 29.40 लाख मीटरी टन और एम ओ पी की उपलब्धता 9.64 लाख मीटरी टन होने की संभावना है। अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए यह उपलब्धता पर्याप्त है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये हैं कि किसी प्रकार की कमी न हो।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

खरीफ मौसम 1998 के दौरान यूरिया की आवश्यकता

क्रम संख्या	राज्य/संघ शाकित क्षेत्र	खरीफ 1998 के लिए अनुमानित आवश्यकता (000 मीटरी टन में)	औसत दैनिक आवश्यकता (मीटरी टन में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	960.00	5,245.90
2.	कर्नाटक	590.00	3,224.04
3.	केरल	72.00	393.44